HPFD-F05/154/2024-FCA
वन विभाग हिमाचल प्रदे ा।

प्रेषकः नोड़ल आफिसर एवं प्र0 मुख्य
अरण्यपाल (एफ0सी0ए0)हि0प्र0।

प्रेषितः क्षेत्रीय अधिकारी,
उप–कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
भारतीय वन सर्वेक्षण, क्षेत्रिय कार्यालय (उत्तरीय), चण्डीगढ़
सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, ि ावालिक खण्ड,लौंगबुड,
ि ामला, हिमाचल प्रदे ा–1710001

दिनांक ि ामला–1

विषयः **Diversion of 5.368 ha of forest land in favour of HPPWD NH Division Theog, for the Widening and Strengthening to Double Lane of Poanta-Rajban-Shilai-Minus-Hatkoti road, Portion Snail to Hatkoti from RD 149/00 to 161/715 NH-707 (Old NH-72B), within the jurisdiction of Rohru Forest Division, Distt. Shimla HP-reg.**

महोदय,

आपके कार्यालय के पत्र दिनांक 14.04.2024 के संदर्भ में जिसके माध्यम से विशयाधिन प्रस्ताव को सैन्द्वातिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

2 उपरोक्त सन्दर्भ के अधीन पत्र के द्वारा इस प्रस्ताव को सैन्द्धातिक स्वीकृति प्रदान की गई जिसकी अनुपालना निम्न प्रकार से प्रस्तुत है :–

	शर्तें	उत्तर
।ण	**वे भार्ते जिनका राज्य वन विभाग द्वारा वन भूमि सौंपने से पहले अनुपालन करने की आव यकता है:**	प्रयोत्का ऐजेंसी से CA स्कीम के अनुसार प्रति पूर्ति पौधारोपण की रा ि जमा करावा ली है।
पण	प्रयोत्का ऐजेंसी से CA स्कीम के अनुसार प्रति पूर्ति पौधारोपण की जमा रा ि जमा करावाई जाए।	
पपण	राज्य सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा IA No. 3840 in WP (C) No. 202/1995 के अंतर्गत दिनांक 08.02.2023 को जारी आदे ाों की अनुपालना सुनिश्चित करेंगी।	राज्य सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा IA No. 3840 in WP (C) No. 202/1995 के अंतर्गत दिनांक 08.02.2023 को जारी आदे ाों की अनुपालना सुनिि चत करेंगी।
पपपण	WP (C) No. 202/1995, IA No. 566 में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदे ा दिनांक 30.10.2002, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मत्रांलय , भारत सरकार , नई दिल्ली के निर्दे ा संख्या 5-3/2011-FC (vol-I) दिनांक 06.01.2022 के अनुसार प्रयोत्का एजेंसी से प्रस्तावित वन भूमि, 5.368 हेक्टेयर की नैट वैल्यु जमा करवाई जाए ।	WP (C) No. 202/1995, IA No. 566 में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदे ा दिनांक 30.10.2002, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मत्रांलय , भारत सरकार , नई दिल्ली के निर्दे ा संख्या 5-3/2011-FC (Vol-I) दिनांक 06.01.2022 के अनुसार प्रयोत्का एजेंसी से प्रस्तावित वन भूमि, 5.368 हेक्टेयर की नैट वैल्यु जमा करवाई जाए।
पअण	प्रयोत्का एजेंसी सभी भुगतान रा ाि पर्यावरण वन एवं वन जलवाय परिवर्तन मत्रांलय की वेबसाइट www.parivesh.nic.in पर केवल ऑनलाइन माध्यम से CAMPA Fund में जमा करवाई जाए।	प्रयोत्का एजेंसी सभी भुगतान रा ाि पर्यावरण वन एवं वन जलवाय परिवर्तन मत्रांलय की वेबसाइट www.parivesh.nic.in पर केवल ऑनलाइन माध्यम से CAMPA Fund में जमा करवाई जाए।
अण	पूर्ण अनुपालन रिपोर्ट e-portal (https://parivesh.nic.in/) मे अपलोड की	पूर्ण अनुपालन रिपोर्ट e-portal (https://parivesh.nic.in/) मे अपलोड कर ली है।

	जाए।	
अपण	प्रयोत्का एजेंसी को यह सुनिच्श्रित करना है कि प्रतिपूरक भ्ाुल्क (सीए लागत, एंन पी वी, आदि) वेब पोर्टल पर ऑन लाइन उत्पन्न चालान के माध्यम से जमा किए जाते है और केवल उपयुक्त बैंक में जमा किए जाते हैं। अन्य माध्यम से जमा की गई राि ा को Stage-I clearance के अनुपालन के रूप में विकार नही किया जाएगा ।	प्रयोत्का एजेंसी द्वारा प्रतिपूरक भ्ाुल्क (सीए लागत, एंन पी वी, आदि) वेब पोर्टल पर ऑन लाइन उत्पन्न चालान के माध्यम से जमा की गई है और केवल उपयुक्त बैंक में यह रा ाि जमा कर ली हैं।
अपपण	प्रयोत्का एजेंसी यह सुनिच्श्रित करेगी कि सभांग में कोई अन्य प्रस्ताव, जिसके लिए Stage-I पहले ही **स्वीकृत** किया जा चुका है, Stage-I अनुमोदन की भार्तों के अनुपालन के लिए अभी लंबित नहीं है। इस आ ाय का एक वचन पत्र कि **इस मंडल के पास Stage-I अनुमोदन की शर्तों के अनुपालन के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है** प्रस्तुत किया जाए। इस कार्यालय द्वारा इस प्रस्ताव की अंतिम मंजूरी के लिए अनिवार्य होगा ।	इस आ ाय का एक वचन पत्र कि **इस मंडल के पास Stage-1 अनुमोदन की शर्तों के अनुपालन के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है,** प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत किया गया है।
अपपपण	FRA 2006 की अनुपालन सम्बंधित जिला कलेक्टर द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र किया जाएगा ।	FRA 2006 का अनुपालन सम्बंधित जिला कलेक्टर द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र किया जाएगा ।
ठण	**वे भार्ते जिनका राज्य वन विभाग द्वारा प्रयोत्का एजेंसी को वन भूमि सौंपने के बाद फिल्ड में कडाई से पालन करने की आव यकता हैं, परन्तु अडंरटेकिंग के रुप में अनुपालन स्टेज–।। अनुमोदन से पहले प्रस्तुत किया जाना है।**	वन भूमि के अधिक परिस्थिति बदली नही जाएगी। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
1ण	वन भूमि के अधिक परिस्थिति बदली नही जाएगी।	
2ण	काटे जाने वाले वृक्षों/पौधों की सख्यां किसी भी रुप में प्रस्ताव में दर्शायी गई संख्या से अधिक नहीं होगी और वृक्षों की कटाई के दोरान वन्य जीवों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा।	काटे जाने वाले वृक्षों/पौधों की सख्यां किसी भी रुप में प्रस्ताव में दर्शायी गई संख्या से अधिक नहीं होगी और वृक्षोंकी कटाई के दोरान वन्य जीवों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
3ण	राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित सी0ए0 योजना के 12.5 ha पर पौध रोपण का कार्य UPF Sheroli in Mandal Beat & Block, Saraswati Nagar Range, Tehsil Jubbal, Distt. Shimla, Himachal Pradesh पर सीए किया जाएगा और धन उपयोग कर्ता एजेंसी द्वारा प्रदान किया जाएगा। अनुमोदन जारी होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर वृक्षा रोपण किया जाएगा। यथा संभव हो स्थानीय देशी प्रजाति मिश्रित रुप से रोपित किए जायेंगे एवं किसी भी प्रजाति का monocultural नहीं होगा।	राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित सी0ए0 योजना के 12.5 ha पर पौध रोपण का कार्य UPF Sheroli in Mandal Beat & Block, Saraswati Nagar Range, Tehsil Jubbal, Distt. Shimla, Himachal Pradesh पर सीए किया जाएगा और धन उपयोग कर्ता एजेंसी द्वारा प्रदान किया जाएगा। अनुमोदन जारी होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर वृक्षा रोपण किया जाएगा। यथा संभव हो स्थानीय देशी प्रजाति मिश्रित रुप से रोपित किए जायेंगे एवं किसी भी प्रजाति का monocultural नहीं होगा। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
4ण	प्रस्तावित सी0ए0 भूमि, यदि राज्य वन विभाग के नाम है तो उससे सम्बन्धित दस्तावेज,अन्यथा IFA, 1927 के अन्तर्गत अधिसूचित करा कर, ततसंबंधित दस्तावेज विधिवत स्वीकृति के पहले प्रस्तुत किया जाएगा।	प्रस्तावित सी0ए0 भूमि, सम्बन्धित जानकारी प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा अपलोड की गई अनुपालना रिर्पोट के साथ संलग्न है।
5ण	राज्य सरकार वन भूमि को प्रयोक्ता अभिकरण को सौपने से पहले FSI के ई–ग्रीन पोर्टल में प्रतिपूरक वन रोपण के लिए स्वीकृत वन क्षेत्र की के0एम0एल0 फाईल को अपलोड की जाएगी।	राज्य सरकार वन भूमि को प्रयोक्ता अभिकरण को सौपने से पहले FSI के ई–ग्रीन पोर्टल में प्रतिपूरक वन रोपण के लिए स्वीकृत वन क्षेत्र की के0एम0एल0 फाईल को अपलोड की जाएगी। इस सन्दर्भ की बचनबद्वता संलगन है।
6ण	वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में द ाए गये उदे य के अलावा किसी अन्य उदे य के लिए नहीं किया जायेगा।	वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में द ाए गये उदे य के अलावा किसी अन्य उदे य के लिए नहीं किया जायेगा। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
7ण	माननिय उच्चतम न्यायालय के निर्दे ों अनुसार, जब	माननिय उच्चतम न्यायालय के निर्दे ों अनुसार, जब कभी

	कभी भी NPV की रा ी बढाई जाएगी तो उस बढी हुई NPVकी रा ी को जमा करने के लिए प्रयोत्का एजेंसी बाध्य होगी और राज्य सरकार बढी रा ी जमा करना सुनिश्चित करेंगे।	भी NPV की राशी बढाई जाएगी तो उस बढी हुई NPV की रा ी को जमा करने के लिए प्रयोत्का एजेंसी बाध्य होगी और राज्य सरकार बढी रा ी जमा करना सुनिश्चित करेंगे। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
8ण	Soil and Moisture Conservation Plan along with detail cost of its implementation into the account of CAMPA is required to be submitted along with Stage-I compliance. However, in cases where it is not possible for the State Govt. to submit the compliance due to delay in preparation of such Plan, a lump sum amount of 0.5% of the project cost shall be realized from the User Agency and submitted along with the Stage – I compliance. The deficit amount, as per said Plan, if any, from the money already realized to the tune of 0.5% of project cost shall be deposited in the CAMPA account prior to actual working on the forest area. AnUndertaking to this effect shall be submitted.	Soil and Moisture Conservation Plan along with detail cost of its implementation into the account of CAMPA is required to be submitted along with Stage-I compliance. However, in cases where it is not possible for the State Govt. to submit the compliance due to delay in preparation of such Plan, a lump sum amount of 0.5% of project cost shall be realized from the User Agency and submitted along with the Stage – I compliance. The deficit amount, as per said Plan, if any, from the money already realized to the tune of 0.5% of project cost shall be deposited in the CAMPA account prior to actual working on the forest area.
9ण	एवेन्यू वृक्षारोपण, सड़क के दोनों ओर व मध्य भाग पर आईआरसी विनिर्दे ा के अनुसार उपयोग कर्ता ऐजेंसी द्वारा किया जाएगा।	एवेन्यू वृक्षारोपण, सड़क के दोनों ओर व मध्य भाग पर आईआरसी विनिर्देश के अनुसार उपयोग कर्ता ऐजेंसी द्वारा किया जाएगा। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
10ण	स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को केंद्रीय सरकार की पूर्ति के बिना किसी भी परिस्तिथि में किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति वि ोश को हस्तांतरित नहीं किया जाएगा।	स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को केंद्रीय सरकार की पूर्ति के बिना किसी भी परिस्तिथि में किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति वि ोश को हस्तांतरित नहीं किया जाएगा। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
11ण	केंद्रिय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले–आउट प्लान को बदला नहीं जाएगा।	केंद्रिय सरकार कि अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले आउट प्लान को बदला नहीं जाएगा। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
12ण	वन भूमि में किसी भी प्रकार का कोई श्रमिक ि ाविर नहीं लगाया जायेगा।	वन भूमि में किसी भी प्रकार का कोई श्रमिक ि ाविर नहीं लगाया जायेगा। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
13ण	प्रयोत्का एजेंसी द्वारा वांछित भूमि संरक्षण पैमाने उपयोग किये जायेंगे, जिसके लिए प्रयोत्का एजेंसी द्वारा वर्तमान दरों पर धनरा ी उपलब्ध करायी जायेगी।	प्रयोत्का एजेंसी द्वारा वांछित भूमि संरक्षण पैमाने उपयोग किये जायेंगे, जिसके लिए प्रयोत्का एजेंसी द्वारा वर्तमान दरों पर धनरा ी उपलब्ध करायी जायेगी। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है
14ण	परियोजना कार्य के निश्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया पथ नहीं बनाया जाएगा।	परियोजना कार्य के निश्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया पथ नहीं बनाया जाएगा। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
15ण	प्रयोत्का एजेंसी द्वारा श्रमिकों तथा कार्य स्थल पर कार्यरत स्टाफ को अधिमानत वैकल्पिक इंधन उपलब्ध करायेगी, ताकि साथ लगते वन क्षेत्र को किसी प्रकार के नुकसान तथा दबाव से बचाया जा सकता है।	प्रयोत्का एजेंसी द्वारा श्रमिकों तथा कार्यस्थल पर कार्यरत स्टाफ को अधिमानत वैकल्पिक इंधन उपलब्ध करायेगी, ताकि साथ लगते वन क्षेत्र को किसी प्रकार के नुकसान तथा दबाव से बचाया जा सकता है। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
16ण	प्रयोत्का एजेंसी राज्य के मुख्य वन्य जीव संरक्षण द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार उस क्षेत्र के वनस्पति और प्राणी समुह के संरक्षण तथा परिसंरक्षण में राज्य सरकार की सहायता करेगी।	प्रयोत्का एजेंसी राज्य के मुख्य वन्य जीव संरक्षण द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार उस क्षेत्र के वनस्पति और प्राणी समुह के संरक्षण तथा परिसंरक्षण में राज्य सरकार की सहायता करेगी। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
17ण	स्थानांतरित वन भूमि की सीमायें आगे तथा पिदे लिखे गए	सीानांतरित वन भूमि की सीमायें आगे तथा पिदे लिखे गए

क्रम संख्या वाले 4 फिट उंचे सीमेंट के खंब्बों द्वारा चिन्हित की जाएगी।	क्रम संख्या वाले 4 फिट उंचे सीमेंट के खंब्बों द्वारा चिन्हित की जाएगी। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
18ण संरक्षित वन भूमि की सीमायें आगे तथा पीछे लिखे किए गये क्रम संख्या के अनुसार उस क्षेत्र के वनस्पति और प्राणी समूह के सरंक्षण तथा परिक्षण में राज्य सरकार की सहायता करेगी।	संरक्षित वन भूमि की सीमायें आगे तथा पीछे लिखे किए गये क्रम संख्या के अनुसार उस क्षेत्र के वनस्पति और प्राणी समूह के सरंक्षण तथा परिक्षण में राज्य सरकार की सहायता करेगी। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
19ण प्रयोक्ता एजेंसी सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू/एनबीडब्ल्यूएल/आरईसी की सिफारिशों के अनुसार संरक्षित क्षेत्र मे उपयुक्त अंडर/ओवरपास उपलब्ध कराएगी।	प्रयोक्ता एजेंसी सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू/एनबीडब्ल्यूएल/आरईसी की सिफारिशों के अनुसार संरक्षित क्षेत्र मे उपयुक्त अंडर/ओवरपास उपलब्ध कराएगी। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
20ण यदि आव यक हो तो प्रयोत्का एजेंसी पर्यावण सुरक्षा अधिनियम 1986, के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी।	यदि आव यक हो तो प्रयोत्का एजेंसी पर्यावण सुरक्षा अधिनियम 1986, के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी।
21ण परियोजना के निमार्ण से उतसर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केवल परियोजना स्थल पर ही किया जाएगा तथा इसके अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फैंका जाएगा।	परियोजना के निमार्ण से उतसर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केवल परियोजना स्थल पर ही किया जाएगा तथा इसके अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फैंका जाएगा। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
22ण इस प्रस्ताव को 99 वर्षों के लिए अनुमति प्रदान की जायेगी, इसके उपरांत पुनः यह अनुमति भारत सरकार से प्राप्त करनी होगी। इस अनुमोदन के तहत की अवधि प्रयोत्का एजेंसी के पक्ष में दी जाने वाली की अवधि या परियोजना की अवधि, जो भी कम हो, के सह–समाप्ति होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण इस शर्त से सहमत है। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
23ण अन्य कोइ भी भार्त इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतु समय–समय पर लगाई जा सकती है।	प्रयोक्ता अभिकरण इस शर्त से सहमत है। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
24ण यदि कोई अन्य सम्बंधित अधिनियम/अनुच्छेद /नियम/न्यायालय आदे ा/अनुछेद आदि तथा विकास हेतु होते हैं तो उनके अधिन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण इस शर्त से सहमत है। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
25ण इनमें से किसी भी भार्त का उल्लंघन वन संरक्षण अधिनियम,1980 का उल्लंघन होगा तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के Handbook of Forest (Conservation) Act, 1980 and Forest Conservation Rules, 2003 (Guidelines & Clarifications), 2019 में उल्लेखित दि ाानिर्दे ा 1. 21 के अनुसार कार्यवाई की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण इस शर्त से सहमत है। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।

अतः आपसे निवेदन है कि प्रस्ताव को वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति प्रदान की जाए।

भवदीय,

Signed by
Sanjay Sood
Date: 27-06-2025 18:01:23

नोडल अधिकारी एवं मुख्य
अरण्यपाल(एफ0सी0ए0)हि0प्र0